सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं.सीआर-18/विविध(18)/2019 दिनांक : 14.10.2019

क्रू अनुभाग का परिपत्र संख्या 09/2019

विषय : समुद्रकर्मियों की भर्ती और नियोजन सेवाओं हेतु लाइसेंस (आरपीएसएल) के लिए व्यापकनिरीक्षण कार्यक्रम किए जाने के तौर-तरीकों का प्रारूप – संबंधी ।

1. आरपीएसएल के कामकाज को ग्रेड देने के लिए समुद्रकर्मियों की भर्ती और नियोजन सेवाओं हेतु लाइसेंस के व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (सीआईपी) को किए जाने का प्रस्ताव है । सीआईपी वर्ष में एक बार की जाएगी और यह आरपीएसएल के आमतौर पर किए जाने वाले आरंभिक / वार्षिक / नवीकरण निरीक्षणों से अलग होगा ।

2. निम्नोक्त मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) सीआईपी कर सकेंगे :

(ए) इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग
(बी) लॉयड्स रजिस्टर ऑफ ग्रुप लिमिटेड
(सी) ब्यूरो वेरीटस
(डी) अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग
(ई) निप्पॉन कैजी कियोकाय
(एफ) कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग
(जी) रीना सर्विसेज़ एसपीए
(एच) डीएनवी जीएल एएस

3. आरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि सीआईपी मात्र एमएलसी योग्यता प्राप्त निरीक्षकों द्वारा ही किया जाए ।
4. सीआईपी किए जाने के लिए शुल्क का भुगतान संबंधित आरओ को आरपीएस द्वारा किए जाने योग्य होगा । आरओ द्वारा लिया जाने वाला शुल्क आरपीएसएल द्वारा नियोजित समुद्रकर्मियों की संख्या और सीआईपी आयोजित किए जाने हेतु कार्य दिवसों की संख्या पर आधारित होगा । इस तरह से लिए गए शुल्क का 15% सरकार को भुगतान योग्य होगा तथा इसे संबंधित अधिकार क्षेत्र के नाविक रोजगार कार्यालय में जमा करवा दिया जाएगा।
5. सीआईपी का प्रोफार्मा और उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी ।
6. आरपीएसएल का आरंभिक / वार्षिक / नवीकरण निरीक्षण जिस आरओ ने किया होगा सीआईपी करने वाला आरओ उससे भिन्न होगा ।

--2

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

7. विद्यमान आरपीएसएल की सीआईपी इस परिपत्र के जारी होने से छह मास में पूरा कर लिया जाएगा।

8. सीआईपी को तेजी से पूरा किए जाने के लिए जांच सूची से आरपीएसएल को वेटेज़ दिया जाएगा।

9. आरपीएसएल स्वयं सीआईपी का प्रस्ताव रखेगा और प्रयोजनार्थ उक्त सूची में आरओ को चुनेगा।

10. सीआईपी के दौरान आरपीएसएल की कार्य प्रणाली पर यदि कोई बात सामने आती है तो उसे आरओ द्वारा देखी गई बातों वाले स्तंभ के अंतर्गत जांच सूची में हाईलाइट किया जाएगा।

11. सीआईपी के दौरान निम्नलिखित मुद्दों को भी जांचा जाए तथा यदि कोई बात नजर आए तो देखी गई बातों वाले स्तंभ के अंतर्गत जांच सूची में हाईलाइट किया जाए :

(ए) कोई भी मैनिंग समझौता, यदि पोत-स्वामियों / प्रबंधन के विवरणों की बजाय मात्र पीओ बॉक्स आदि लिखा हो, उचित पता, वैबसाइट और ई-मेल न हो।

(बी) प्रयोजनीय कलेक्टिव बारगेनिंग एग्रीमेंट (सीबीए) के साथ चल रहे सीफेयरर्स एग्रीमेंट (एसईए) के बीच कोई अंतर / अंतराल / विसंगति।

(सी) पोत स्वामी कंपनी / डीओसी धारक का आईएमओ नंबर (जिससे प्रपत्र VII पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं) का सत्यापन तथा निष्कर्ष का विशेष उल्लेख किया जाए।

(डी) जलयान की आयु, प्रचालन का क्षेत्र, विभिन्न पारस्परिक समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत निष्पादन, एमएलसी के अनुपालन का अभिलेख तथा अन्य बीमा प्रमाणपत्रों आदि सहित जलयान की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए ताकि आरपीएस के अंतर्गत बेड़े की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके।

(ई) नियोजित समुद्रकर्मियों की गुणवत्ता को जानने के लिए महिला समुद्रकर्मियों को दी गई नौकरी से इसे जांचा जाए।

(एफ) आरपीएसएल द्वारा नियोजित समुद्रकर्मियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए आमतौर पर नियोजित किए जाने वाले समुद्रकर्मियों की सामान्य योग्यता, उनके द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रमों मजदूरी के स्तर आदि का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

(जी) इस बात को सुनिश्चित करने का प्रमाण हो कि पोत स्वामी के पास इतने साधन है कि वह इन समुद्रकर्मियों को पत्तन में फंसने / कहीं छूट जाने की दशा में इनकी रक्षा कर सकता है, फंसे हुए / छूट गए समुद्रकर्मी को वापस लाने के लिए प्रावधान साथ ही उसे वापस लाए जाने से पहले तक का उसका खर्च और आवश्यक आपातकालिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के साधन हैं तथा मृत्यु होने की दशा में समुद्रकर्मी के प्राप्त शव को वापस लाए जाने के प्रावधान हैं।